दबोचा गया किशोरी को भगाने व मतांतरण कराने का आरोपित

जासं • श्रावस्ती : सोनवा पुलिस टीम ने मंगलवार की शाम चौगोई नहर मोड़ के पास से किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने व मतांतरण कराने के आरोपित को दबोच लिया। आरोपित को न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि सोनवा क्षेत्र में 24 दिसंबर को क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी को गांव का ही समीर अहमद बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता के पिता ने 25 दिसंबर को सोनवा थाने में आरोपित के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। विवेचना, साक्ष्य संकलन व बयान के बाद धारा में मतांतरण कराने, पाक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

मंगलवार को सोनवा थानाध्यक्ष विसुनदेव पांडेय पुलिस टीम के साथ भ्रमण पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपित समीर चौगोई नहर मोड़ के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी का अपहरण व धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र से किशोरी का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपी समीर अहमद व किशोरी को मंगलवार शाम पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया।

सोनवा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 25 दिसंबर को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 24 दिसंबर को समीर ने उनकी बेटी को बहला कर उसका अपहरण कर लिया। समीर उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ कुछ गलत कर सकता है।

सोनवा थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय ने बताया कि तत्काल अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच व साक्ष्य जुटाने के दौरान आरोपी पर पॉक्सो व धर्म परिवर्तन की धाराएं बढ़ाई गईं।

बताया कि मंगलवार की शाम गुप्त सूचना पर आरोपी समीर को चौगोई नहर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से किशोरी को सकुशल लेकर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। (संवाद)